जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 23.10.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ब्रेक प्वाईंट के पास हुई स्कूटी व मोबाइल लूट की घटना का अल्प समयावधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी स्कूटी व मोबाइल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.10.2024 को वादी श्री तरसपाल उर्फ अंकित शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र निवासी ग्राम जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली की स्कूटी व मोबाइल को 03 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा कैराना पानीपत रोड पर ब्रेक प्वाइंट के पास से छीनकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सूचना दी थी। सूचना के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमों का गठन कर घटना के यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ब्रेक प्वाइंट के पास हुई स्कूटी व मोबाइल लूट की घटना का अल्प समयवधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर लुटेरों को घटना में लूटी गयी स्कूटी व मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मौहसिन पुत्र यूनुस ने पूछताछ पर बताया कि उसने अंकित शर्मा पुत्र रमेश निवासी ग्राम जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली के कहने पर अपनी भाभी गुलशाना पत्नी शौकीन को चुनाव लडाकर जीतने के नाम पर 95,000/- रुपये दिये थे। गुलशाना चुनाव हार गयी तो मैंने अंकित से रूपये वापस करने को कहा, जिस पर अंकित उपरोक्त ने मुझे 18000/- रुपये वापस कर दिये एवं बाकी रुपये बाद में देने को कहा। इसके बाद मेरे द्वारा बार-बार रुपये मांगने पर भी अंकित ने रुपये नहीं लौटाये और गाली गलौज व धमकी दोबार रुपयों की मांग की तो अच्छा नहीं होगा। दिनांक 21.10.2024 को मैं अपने साथी रिजवान पुत्र इरफान जो मेरे वार्ड में ही रहता है तथा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है के साथ अंकित शर्मा के प्रापर्टी आफिस पर गया एवं अंकित शर्मा से पैसों की मांग की, अंकित के मना करने पर हम दोनों वहां पास में खडी अंकित की स्कूटी व मोबाइल छीनकर भाग गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.मौहसिन पुत्र युनुस निवासी वार्ड नं0 27 कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

2.रिजवान पुत्र इरफान निवासी वार्ड नं0 27 कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटी गई स्कूटी रजि0 नं- UP19AL7125।

2.लूटा गया मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी ए51।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 विजेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 पवन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 प्रमोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 अंकित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ के जंगल में प्रतिबन्धित पशु कटान की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं गौकशी की घटनाओं के रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ के जंगल में हुयी गोकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं, यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.10.2024 को थाना कैराना पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ के जंगल में प्रतिबन्धित पशु कटान होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सलीम पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.है0का0 कुलवन्त सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद ।</u>

ज्ञात हो कि दिनाँक 16.10.2024 को वादी श्री लोकेन्द्र पुत्र श्री राजेश निवासी ग्राम रजाकनगर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध मौहल्ला अग्रवाल कालोनी से उसकी मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0-UP19E0239 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे । थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घटनाओं में लिप्त अज्ञात चोरो की तलाश की जा रही थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर चोरों को मौहल्ला अग्रवाल कालोनी से चोरी की हुयी मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0नं0- UP19E0239 एवं 01 अन्य मोटरसाइकिल होण्डा साईन (मुजफ्फरनगर से चोरी) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-</u>

1.मोनू पुत्र प्रेम निवासी मौहल्ला गुलशन नगर थाना कैराना जनपद शामली ।

2.असजद पुत्र मोमीन निवासी ग्राम काकोर मवीं थाना कैराना जनपद शामली ।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1.चोरी की मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस रजि0नं0- UP19E0239 ।

2.चोरी की मोटरसाईकिल होण्डा साईन फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई (मुजफ्फरनगर से चोरी) ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1.उ0नि0 श्री सतीश त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

2.है0का0 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

3.है0का0 नबाब सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.समीर उर्फ सिन्ना पुत्र इरशाद उर्फ सुक्का निवासी मौहल्ला घास मण्डी कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुरेशवीर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 दिनेश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 अमरदीप थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.रामदास पुत्र इन्दर निवासी ग्राम दुलावा थाना थानाभवन जनपद शामली ।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5,800/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2000 में अभियुक्त सत्तार पुत्र मेहरु निवासी ग्राम भडी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 51/421/2000 धारा 5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2018 में अभियुक्त सुनील पुत्र मामराज निवासी मौहल्ला बडी आल कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 527/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.10.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में न्यायालय उठने तक की सजा व 2,600/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2021 में अभियुक्ता ललिता पत्नी शीशपाल निवासी मौहल्ला पंजाबी कालोनी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 108/2021 धारा 323/324 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.10.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में 2,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2000 में अभियुक्त रामदास पुत्र इन्दर निवासी दुलावा थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 359/2000 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.10.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.सत्तार पुत्र मेहरु निवासी ग्राम भडी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.सुनील पुत्र मामराज निवासी मौहल्ला बडी आल कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

3.ललिता पत्नी शीशपाल निवासी मौहल्ला पंजाबी कालोनी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

4.रामदास पुत्र इन्दर निवासी दुलावा थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>